



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर
(जन हित वाद) रिट याचिका संख्या 3304/2004

याचिकाकर्ता

राजेन्द्र प्रसाद मैत्री, आयु लगभग 30
वर्ष, पिता सीताराम मैत्री,
बेरोजगार स्नातक, निवासी ग्राम
पुरेना बूढ़ा थाना एवं तहसील
डभरा, जिला जांजगीर-चांपा
(छ.ग.)



विरुद्ध

1. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा
सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण
विकास विभाग, दाऊ कल्याण
सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जिला जांजगीर
(छ.ग.)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उत्प्रेषण,
परमादेश या किसी अन्य

समुचित प्रकृति के रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए रिट

याचिका,

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर



रिट याचिका संख्या 3304/04

रिट याचिका संख्या 3305/04

रिट याचिका संख्या 3306/04

रिट याचिका संख्या 3308/04

रिट याचिका संख्या 3311/04

रिट याचिका संख्या 3312/04

रिट याचिका संख्या 3360/04

रिट याचिका संख्या 3472/04

रिट याचिका संख्या 3521/04

रिट याचिका संख्या 3534/04

रिट याचिका संख्या 3535/04

रिट याचिका संख्या 3536/04

रिट याचिका संख्या 3581/04

रिट याचिका संख्या 3582/04

और

रिट याचिका संख्या 3623/04

आदेश

4/2/2005 के लिए नियत

हस्ता/- फखरुद्दीन,
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ता/- वी. के. श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति





छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3304/04

राजेंद्र प्रसाद मैत्री

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य.

रिट याचिका संख्या 3305/04

कृष्ण कुमार चक्रधारी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका संख्या 3306/04

दास राम बंजारे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका संख्या 3308/04

कैलाश अग्रवाल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका संख्या 3311/04

बृजेश जगताप

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका संख्या 3312/04





विश्वनाथ

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य

रिट याचिका संख्या 3360/04

लखन लाल वर्मा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 3472/04

प्रहलाद सिंह यादव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 3521/04

श्रीमती सरोज बाला

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 3534/04

गंगा प्रसाद चौधरी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य।

रिट याचिका संख्या 3535/04

श्री राम पप्पू बघेल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य





रिट याचिका संख्या 3536/04

नंधू राम खुटे

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 3581/04

रामफल चंद्रवंशी

बनाम

छ.ग. राज्य एवं अन्य

रिट याचिका संख्या 3582/04

कंवल राम कौशिक

बनाम

छ.ग.राज्य एवं अन्य

तथा

रिट याचिका संख्या 3623/04

लोकेश चंद्र पांडे

बनाम

छ.ग. राज्य एवं अन्य।

डिवीजन बेंच: मान. श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति

मान. श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति

मौखिक आदेश

मान. श्री फखरुद्दीन, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति





उपर्युक्त रिट याचिकाओं पर समतुल्य रूप से सुनवाई की गई है और इस आदेश द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है। रिट याचिका. संख्या 3304/2004 मुख्य प्रकरण होगा।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन इन याचिकाओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने 10/8/2004 को अधिसूचना संख्या 52/पंचा/22/04 के माध्यम से प्रकाशित छत्तीसगढ़ पंचायत शाला संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2004 की वैधता को चुनौती दी है। यह अधिसूचना पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 95 उपधारा (1) के साथ धारा 70(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है, जिसके अधीन संविदा शिक्षकों (संविदा शिक्षक) की नियुक्ति के लिए नियम बनाए गए हैं। यह तर्क दिया गया है कि ये नियम कानून के विपरीत हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करते हैं।

3. यह तर्क दिया गया है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में संविदा शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। नियमों को चुनौती इस आधार पर दी गई है कि प्रत्येक साक्षात्कार के लिए स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसे स्थानीय बोली के मूल्यांकन हेतु स्थानीय मंत्री द्वारा नामित किया जावेगा। यह तर्क दिया गया है कि साक्षात्कार के लिए अपने नामित व्यक्ति के माध्यम से मंत्री की भागीदारी अवैध और कानून का उल्लंघन है। ऐसा कहा गया है कि विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। संविदा शाला शिक्षक की तीन श्रेणियां हैं, अर्थात् वर्ग 1, और वर्ग 2, वर्ग 3 संलग्न अनुसूचियां नीचे उद्धृत की गई हैं:

अनुसूची-1
{ नियम 2 (b) देखें }



क्र.सं.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	अनुबंध राशि (समेकित एवं निश्चित)	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-1	3500/-	जिला पंचायत
2	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-2	रु.3000/-	जनपद पंचायत
3	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3	रु.2500/-	ग्राम पंचायत

अनुसूची- 2

(नियम 2(ग) और नियम 5 देखें)

क्र.सं.	संविदा शाला शिक्षक का वर्गीकरण	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-1	21 वर्ष	35 वर्ष	संबंधित विषय में कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी या समकक्ष	जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित संबंधित जिला पंचायत का सदस्य 2 सदस्य सचिव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत. 3 सदस्य-जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित स्थानीय भाषा का अच्छा जानकार व्यक्ति. टीप: 1.इस समिति का कम से कम एक सदस्य



					अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा 2. जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण समिति की बैठकों में सलाह देने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।
2.	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-2	21 वर्ष	35 वर्ष	संबंधित विषय में कम से कम स्नातक उपाधि द्वितीय श्रेणी या समकक्ष	1. सभापति- जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित संबंधित जनपद पंचायत का सदस्य 2. सदस्य सचिव - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत 3. सदस्य-जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित स्थानीय भाषा का अच्छा जानकार व्यक्ति. टीपः 1. इस समिति का कम से कम एक सदस्य





					अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा 2.खंड शिक्षा अधिकारी समिति की बैठकों में सलाह देने के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।
3.	संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समकक्ष प्रमाण पत्र	1 सभापति- संबंधित ग्राम पंचायत का सरपंच 2 सदस्य सचिव - संबंधित ग्राम पंचायत का सचिव 3. सदस्य-जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नामित स्थानीय भाषा का अच्छा जानकार व्यक्ति. टीप: 1.इस समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा





					वर्ग से होगा 2. संबंधित विद्यालय का मास्टर समिति की बैठकों में सलाह देने के लिए विशेष मंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं।
--	--	--	--	--	--

अनुसूची-3

{नियम 7(6) देखें}

क्र.	योग्यता	अंकों की गणना हेतु निर्धारित प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1.	शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए।	60 प्रतिशत
2.	बी.एड., बी.टी.आई., डी.एड प्रमाण पत्र के लिए।	20 प्रतिशत
3.	राज्य स्तरीय खेल प्रमाण पत्र.	3 प्रतिशत
4.	राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रमाण पत्र के लिए।	5 प्रतिशत
5.	स्काउट्स और गाइड्स के लिए राज्यपाल पुरस्कार	3 प्रतिशत
6.	स्काउट्स और गाइड्स के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार।	5 प्रतिशत
7.	एनसीसी-ए प्रमाण पत्र	2 प्रतिशत
8.	एनसीसी-बी प्रमाण पत्र.	3 प्रतिशत
9.	एनसीजी-सी प्रमाण पत्र.	5 प्रतिशत
10.	एनएसएस-ए प्रमाण पत्र.	2 प्रतिशत



11.	एनएसएस-बी प्रमाण पत्र.	3 प्रतिशत
12.	एनएसएस-सी प्रमाण पत्र.	5 प्रतिशत
13.	स्थानीय बोली के ज्ञान हेतु	15 प्रतिशत

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने 73 वें संविधान संशोधन, संविधान के अनुच्छेद 243(जी) और ग्यारहवीं अनुसूची (पद संख्या 17), प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा का संदर्भ दिया। उन्होंने आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154, 164 और 166 का भी संदर्भ दिया। उन्होंने पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया, जैसे कि करों को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के बारे में धारा 78, करों में राहत के संबंध में राज्य सरकार की शक्ति के बारे में धारा 83, आदेशों के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति के बारे में धारा 85, आदि, कुछ मामलों में कार्यों के निष्पादन के लिए पंचायत को निर्देश देने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के बारे में धारा 86, शक्तियों के दुरुपयोग आदि के लिए पंचायत को भंग करने की राज्य सरकार की शक्ति के बारे में धारा 87 जैसे प्रासंगिक नियमों का उल्लेख किया। कहा गया है कि है कि धारा 95 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत शक्ति का प्रत्यायोजन है। विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 243-सी का भी संदर्भ दिया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत शिक्षा समिति सहित समितियाँ हैं, जिनका गठन पंचायत द्वारा किया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि नियम 12 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील का प्रावधान है। यह भी तर्क दिया गया है कि ग्रेड III के लिए, 1994 नियम, नामत म प्र ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 हैं।



5. छ. ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 47 और छ.ग. ग्राम पंचायत (स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल और व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 के नियम 3 के प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ देना उचित होगा, जो नीचे उद्धृत हैं:

धारा 47. जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ (1) प्रत्येक जनपद पंचायत और प्रत्येक जिला पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन करेगी, नामतः:-

(क) सामान्य प्रशासन समिति- जनपद या जिला पंचायत प्रशासन की स्थापना और सेवा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, बजट, लेखा, कराधान और अन्य वित्तीय मामलों तथा किसी अन्य समिति को आवंटित कार्यों के अंतर्गत न आने वाले विषयों से संबंधित सभी मामलों के लिए;

(ख) कृषि समिति - कृषि, पशुपालन, शक्ति, मृदा संरक्षण और समोच्च मेड़बंदी तथा मत्स्य पालन सहित पुनर्ग्रहण, खाद, बीज वितरण तथा कृषि और पशुधन के विकास से संबंधित अन्य मामलों के लिए।

(ग) शिक्षा समिति - वयस्क शिक्षा सहित शिक्षा, विकलांगों और निराश्रितों का सामाजिक कल्याण, महिला और बाल कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, अभाव, मूसलधार बारिश और अन्य ऐसी आपात स्थितियों, संयम या निषेध, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिवासी और हरिजन कल्याण के लिए।

(घ) संचार और कार्य समिति- संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति जल निकासी और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए।





(ई) सहकारिता एवं उद्योग समिति- सहकारिता, मितव्ययिता एवं लघु बचत, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिए।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पांच स्थायी समितियों के अतिरिक्त कोई जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से उक्त उपधारा में निर्दिष्ट न किए गए अन्य मामलों के लिए एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।

(2-क) जनपद पंचायत या जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी समिति को सौंपे गए मामलों को किसी अन्य ऐसी समितियों को पुनः आवंटित कर सकेगी या ऐसी समितियों को अन्यथा निर्दिष्ट न किए गए कोई अन्य मामले सौंप सकेगी।

(3) सामान्य प्रशासन समिति उपधारा (1) में निर्दिष्ट तथा उपधारा (2) के अधीन गठित सभी स्थायी समितियों के अध्यक्षों से मिलकर बनेगी।

(4) सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर प्रत्येक समिति में कम से कम पाँच सदस्य होंगे, जो जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, यथास्थिति, अपने में से, निर्धारित तरीके से चुने जाएंगे:

बशर्ते कि समिति दो से अनधिक व्यक्तियों को सहयोजित नहीं कर सकेगी, जिन्हें समिति को सौंपे गए विषयों का अनुभव या विशेष ज्ञान हो। इस प्रकार सहयोजित किए गए व्यक्तियों के पास समिति की कार्यवाही में मत देने का अधिकार नहीं होगा: इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति शामिल होगा।





(4-ए)(क) विधानसभा का प्रत्येक सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है, उस पंचायत की प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा,

(ख) प्रत्येक संसद सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है, उस पंचायत में अपनी पसंद की किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा; तथा

(ग) जिला पंचायत की प्रत्येक समिति विधानसभा के अधिकतम दो सदस्यों को सहयोजित करेगी जो उस पंचायत के सदस्य हैं, बशर्ते कि विधान सभा का कोई सदस्य दो से अधिक समितियों का सदस्य न हो।

(5) सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर अन्य सभी समितियाँ अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सभापति का चुनाव ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से करेंगी, जैसा कि विहित किया जाए:

शर्त यह होगी कि—

(i) यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होगा;

(ii) यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होगा; और

(iii) यथास्थिति, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस परन्तुक के खंड (i) और (ii) के आधार पर जिस समिति का सभापति है, उसके अलावा किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं होगा।

(6) प्रत्येक समिति, उसे सौंपे गए विषय के संबंध में, यथास्थिति, पंचायत या जिला पंचायत के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसा कि विहित किया जाए।





(7) कोई भी व्यक्ति एक समय में सामान्य प्रशासन समिति के अतिरिक्त तीन से अधिक समितियों का सदस्य नहीं होगा।"

1994 के नियमों का नियम 3. स्थायी समितियाँ (1) प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने पंचों में से निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी, नामतः :-

(क) सामान्य प्रशासन समिति- ग्राम पंचायत प्रशासन की स्थापना और सेवा से संबंधित सभी मामलों के लिए, अथवा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण योजना का अनुमोदन, बजट, लेखा, कराधान एवं अन्य वित्तीय मामले, भूमि विकास एवं संरक्षण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व, 20 सूत्री कार्यक्रम तथा अन्य सभी मामले जो ग्राम पंचायत को सौंपे गए हों तथा किसी अन्य समिति को आवंटित न किए गए हों।

(ख) निर्माण एवं विकास समिति - ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी निर्माण कार्यों की योजना, प्रबंधन, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण, अभिन्यास, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की योजना, बजट एवं क्रियान्वयन, सभी प्रकार के संचार में सुधार, गाँव, कुटीर एवं खादी उद्योग के विकास पर विशेष जोर,, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के लिए उद्यान एवं पार्क, भविष्य के निर्माण के लिए स्वयं परियोजनाएँ प्रस्तावित करना, ग्रामीण विद्युतीकरण, वन, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, डेयरी, कृषि एवं सिंचाई।

(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति - ग्राम पंचायत क्षेत्र में सभी विद्यालयों का निरीक्षण, प्रत्येक माह की 1 तारीख तक शिक्षकों की पिछले माह की उपस्थिति का प्रमाणीकरण, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं सहायता प्रदान करना, वयस्क साक्षरता, एकीकृत महिला बाल विकास





योजना, आँगनबाड़ी, बालवाड़ी एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार एवं निरीक्षण, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण योजनाओं एवं स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण एवं उनकी उपस्थिति का प्रमाणीकरण, समाज के पिछड़े एवं विकलांग वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी योजना का गठन एवं क्रियान्वयन, ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता एवं सफाई। महिला एवं मुख्य विकास, समाज कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सामाजिक कार्यक्रम। मत्स्य पालन, खेल और श्रम।

(2) प्रत्येक समिति में चार सदस्य होंगे, जिन्हें पंचों द्वारा विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक में अपने में से चुना जाएगा। सरपंच और उप-सरपंच सभी समितियों के पदेन सदस्य होंगे।

(3) सरपंच सभी समितियों का सभापति होगा।"

6. यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना जारी होने से पूर्व, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा म.प्र. (छ.ग.) पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 53 की धारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) सह पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए म.प्र. पंचायत शिक्षाकर्म (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 1997 के नाम से नियम बनाए गए, जिनमें चयन समिति में शिक्षा की स्थायी समिति का प्रावधान करके तथा उसका सभापति बनाकर पंचायतों की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखने का यथासंभव प्रयास किया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार ने पंचायतों की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त



शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त नियम जारी किए हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानीय बोलियों का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अंक प्रदान करने के लिए मौखिक परीक्षा के लिए 15% अंक रखे गए हैं, जो स्थानीय बोली में संचार कौशल, स्थानीय परिवेश का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता तथा चयन समिति द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य परीक्षण के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार आवंटित किए जाने थे। उक्त नियम छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होने के समय अपनाए गए हैं और इस तथ्य को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्कों के दौरान स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है।

7. उपरोक्त तर्कों को समझने के लिए पंचायत राज अधिनियम की धारा 53, जो पंचायतों के कार्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों से संबंधित है, प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत की गई है :-

*** 53. पंचायतों के प्रकार्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियाँ (1) (क)** राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उपयुक्त स्तर पर पंचायत के पास ऐसी शक्तियाँ और अधिकार होंगे, योजनाओं की तैयारी, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन, तथा धारा 49, 49-ए, 50, 52 और अध्याय XIV-ए के अधीन उन्हें सौंपे गए अन्य कर्तव्यों और कार्यों सहित अनुसूची IV में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक हों।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उचित स्तर पर पंचायतों को योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कर्मचारियों के किसी भी संवर्ग या संवर्गों के चयन, भर्ती, नियुक्ति



और प्रबंधन के लिए शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान कर सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर्मचारी प्रतिरूप और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन हो, जिन्हें वह उचित समझे

(2) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, पंचायतों के किसी भी कार्य में वृद्धि कर सकती है या ऐसी पंचायतों को सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों को वापस ले सकती है, जब राज्य सरकार पंचायत को सौंपे गए किसी भी कार्य का निष्पादन अपने हाथ में ले ले। पंचायत ऐसे कार्यों के लिए तब तक जिम्मेदार नहीं होगी जब तक राज्य सरकार ऐसे कार्यों को पंचायतों को पुनः नहीं सौंप देती।"

8. यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया है कि जिले के प्रभारी मंत्री के नामित व्यक्ति को छानबीन समिति में शामिल करना और उनके आदेश पर समिति के सभापति को नामित करने का प्रावधान संविधान और 1993 के अधिनियम का उल्लंघन है और यह संविधान द्वारा दी गई पंचायत की स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40, भारत की संविधान सभा के विमर्श दिनांक 22/11/1948, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991 से संलग्न उद्देश्यों और कारणों के कथन, संविधान के अनुच्छेद 243-बी, 243-सी, 243-जी और संविधान के अनुच्छेद 243-जी(2) के अधीन अधिनियमित ग्यारहवीं अनुसूची (मद संख्या 17) का संदर्भ दिया। उन्होंने (1995) पूरक (2) एस सीसी 305 में, प्रतिवेदित उ.प्र. राज्य व अन्य विरुद्ध प्रधान सिंह एवं अन्य के प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

9. यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसा नामांकन अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनियम की धारा 47(5), धारा 53(1)(ए)(बी) और धारा 70(2) का संदर्भ दिया गया है। 1998/1 जे एल जे 336 में



प्रतिवेदित जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत कर्मचारी संघ एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. राज्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। जहाँ तक मंत्री को शामिल करने का संबंध है, एआईआर 1963 एससी 395 में प्रतिवेदित (बछित्तर सिंह बनाम पंजाब राज्य), 2003(5) एससीसी 134 में प्रतिवेदित (जे.पी. बंसल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य), 1977(4) एससीसी 608 में प्रतिवेदित (कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य) और 1997(1) एससीसी 35 में प्रतिवेदित (सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर वि. दौलतमल जैन और अन्य) प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है। स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए अंक प्रदान करने के संबंध में, एआईआर 1995 एससी 914 में प्रतिवेदित (वी.एन. सुनंदा रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है। 2002(6) एससीसी 562 में प्रतिवेदित कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है।

10. विद्वान वकील ने 2002 (6) एससीसी 393 में प्रतिवेदित (हर्षेन्द्र चौबीसा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया। यह तर्क दिया गया है कि जहाँ तक नियम 7(2) का संबंध है, वर्ष के लिए रिक्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को हर साल अधिसूचित किया जाना है और संबंधित पंचायत को रिक्ति के मामलों में कुछ कहना नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए 15% अंक मनमाना और अनुचित है। छानबीन समिति के पास यह विशेषाधिकार हैं।

11. राज्य की ओर से बचाव और याचिकाओं का विरोध करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि नियम आवश्यकता और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह भी तर्क दिया गया



है कि नियुक्तियां भारत सरकार, शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई अस्थायी योजना सर्व शिक्षा अभियान के अधीन की जानी हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2010 तक सभी को शिक्षा प्रदान करने और संकल्पित भाव से देश में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना है। पूरा उद्देश्य शिक्षकों को विकेन्द्रीकृत, संदर्भ विशेष योजना की मदद से जमीनी स्तर पर समाज की भागीदारी प्रदान करना है, जिसमें मामले के सभी पहलुओं में समुदाय की सक्रिय भागीदारी हो।

12. राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ देते हुए तर्क के समर्थन में एआईआर 1994 एससी 1702 (अनुच्छेद 18 से 26) में प्रतिवेदित इंगलिश मीडियम स्टूडेंट्स पेरेंट्स एसोसिएशन विरुद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 350 और 350-ए का अध्ययन सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए। तर्क दिया गया कि 22249 शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विरोधाभास सिद्ध होने तक वैधता मान ली जानी चाहिए। उन्होंने एआईआर 1958 एससी 956 में प्रतिवेदित केरल शिक्षा विधेयक, 1957 पर भरोसा किया है। 1985 {सप.एससीसी 476} में प्रतिवेदित विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 पर भी भरोसा किया गया।

13. विद्वान अधिवक्ता ने 2003(3) एससीसी 321 (पैरा 10, 11 और 12) में प्रतिवेदित सेंट जॉन्स टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाम क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया कि एक विधान की संवैधानिक होने की अबधारणा है।

14. 1989 के सप.(1) एससीसी 696 में प्रतिवेदित पी.एम.अश्वथनारायण शेटी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, में यह माना गया है कि विधायी



उपाय में पूर्णता की कमी का अर्थ अनिवार्य रूप से इसकी असंवैधानिकता और अधिकारहीनता नहीं है और यह सही कहा गया है कि ऐसे जटिल क्षेत्र में, जिसमें कोई पूर्ण विकल्प मौजूद नहीं है, न्यायालय द्वारा समान संरक्षण खंड के अधीन, राजकोषीय सेवाओं की समीक्षा करते हुए, आलोचना के बहुत कठोर मानक लागू न करना ही अच्छा है।

15. एआईआर 1962 एससी 316 में प्रतिवेदित सीमा शुल्क संग्राहक, मद्रास बनाम संपथु चेट्टी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जिसमें यह माना गया है कि यदि कोई विधान संविधान की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे अधिकारहीन और अवैध इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता है, कि इसके द्वारा अधिकारियों को दी गई शक्ति का उनके द्वारा दुरुपयोग किए जाने की संभावना है।

16. एआईआर 1959 एससी 648 में प्रतिवेदित दीप चंद बनाम उ.प्र.राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है कि न्यायालय किसी कानून को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं कर सकता कि वह संविधान के भाग IV में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

17. अंत में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि न्यायालय को कुछ कमी/खामी भी मिलती है, तो नियमों को अधिकारहीन घोषित करने के स्थान पर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। यह तर्क दिया गया है कि आज की अदालतें केवल विधान को रद्द करने या कुछ किए जाने से रोकने के लिए नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्क्रिय नहीं रह सकती हैं और न ही रहती हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि न्यायालय इस तरीके से सकारात्मक निर्देश दे सकता है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एआईआर 1979 एससी 765 में प्रतिवेदित केरल राज्य बनाम टी.पी. रोशना एवं अन्य के मामले में



सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और तर्क दिया कि न्यायालयों को संकट में फंसी असहाय सरकार की योजना को रद्द करने के बाद जितना हो सके उतना बेहतर करने या सड़कों पर प्रदर्शनकारी अराजकता के माध्यम से समाधान निकालने की स्थिति में छोड़ने जैसी नकारात्मकता का कठोर रवैया अपनाते हुए चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए।

18. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एआईआर **1984 एससी 1543** में प्रतिवेदित महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम परितोष के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भी भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि किसी नियम या विनियमन में शामिल नीति में कोई भी कमी उसे अधिकारहीन नहीं बनाती है और न्यायालय इसे इस आधार पर नहीं कर सकता है कि, उसकी राय में, यह एक बुद्धिमान या विवेकपूर्ण नीति नहीं है, बल्कि मूर्खतापूर्ण है, और यह वास्तव में अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी नहीं होगी।

19. हमने याचिकाओं में उठाए गए दावों, दावों के समर्थन में दिए गए तर्कों, राज्य द्वारा प्रस्तुत उत्तर का संक्षेप में उल्लेख किया है। हमने प्रतिद्वन्दी पक्षकारों द्वारा उद्धृत निर्णयों पर भी विचार किया है। विद्वान अपर महाधिवक्ता को राज्य द्वारा एकत्रित सामग्री, ऑकड़े तथा अन्य सामग्री, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया है।

20. यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या.3308/2004 में अनुलग्नक-पी/3 प्रस्तुत किया है, जो मध्य प्रदेश पंचायत शिक्षा कर्मी (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1997 के रूप में तैयार किए गए नियम हैं। तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के पुनर्गठन की तिथि 1-11-2000 को ये नियम प्रभावी थे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता से इस तथ्य के बारे में स्पष्ट रूप से पूछा गया। उन्होंने कहा कि इन नियमों को छत्तीसगढ़



राज्य द्वारा अपनाया गया था। ये नियम म.प्र.(छ.ग) पंचायत राज अधिनियम, 1993 (1994 का क्रमांक 1) की धारा 53 की उपधारा (2), धारा 70 की उपधारा (1) सह पठित धारा 95 की उपधारा (1) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गए हैं। नियम 2(ख) में परिभाषित किया गया है कि शिक्षा कर्मों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी से तात्पर्य अनुसूची 1 के कॉलम (5) में उल्लिखित प्राधिकारी से है। नियम 2(ग) में परिभाषित किया गया है कि समिति से तात्पर्य अनुसूची II और IV में दिए अनुसार शिक्षा कर्मों की नियुक्ति या पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति या पदोन्नति समिति से है। अनुसूची II संलग्न है, जिसमें दिखाया गया है कि शिक्षा कर्मों ग्रेड-I के लिए चयन समिति के सदस्य (i) सभापति, जिला पंचायत की शिक्षा की स्थायी समिति; (ii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत; (iii) उप निदेशक, शिक्षा या सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण, जैसा भी मामला हो (सदस्य सचिव); (iv) शिक्षा की स्थायी समिति द्वारा नामित विषयों के दो विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला होगी; और (v) शिक्षा की स्थायी समिति के सभी सदस्य जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।

स्थायी समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को सामान्य निकाय से मनोनीत किया जाएगा। शिक्षाकर्मों ग्रेड-11 के लिए चयन समिति के सदस्य ग्रेड-1 के समान ही थे। शिक्षाकर्मों ग्रेड-III के लिए चयन समिति के सदस्य थे (1) सभापति, जनपद पंचायत की शिक्षा की स्थायी समिति; (ii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत; (iii) विकासखंड शिक्षा अधिकारी, (सदस्य सचिव); (iv) शिक्षा की स्थायी समिति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विषय के दो विशेषज्ञ जिनमें से एक महिला होगी; और (v) शिक्षा की स्थायी समिति के सभी सदस्य जिनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। यदि स्थायी समिति में कोई अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य



पिछड़ा वर्ग का सदस्य नहीं है, तो उसे सामान्य निकाय से मनोनीत किया जाएगा।

(21). उपर्युक्त संबंध में नियम 5 के उपनियम (9) का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसमें समिति को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करना था तथा अंक प्रदान करने थे। नियम 5 के उपनियम (9) के खंड (1)(ग) में उल्लेख किया गया है कि मौखिक परीक्षा के लिए 15% अंक दिए जाएंगे, जिसमें (1) स्थानीय बोली में संचार कौशल; (ii) स्थानीय वातावरण का ज्ञान; (iii) सामान्य ज्ञान; (iv) प्रशिक्षण एवं शिक्षण योग्यता तथा (v) कोई अन्य परीक्षा जिसे चयन समिति उचित समझे, शामिल हो सकती है। इन नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया को चुनौती दी गई। न्यायालय ने माना कि नियुक्ति नियम के नियम 12 में प्रदत्त उपाय उचित, वैकल्पिक उपाय है। यह प्रभावकारी, त्वरित तथा समीचीन है। याचिकाओं का निपटारा 1999(2) जेएलजे 156 में प्रतिवेदित मोहम्मद यूसुफ बनाम मध्यप्रदेश राज्य के मामले में पारित आदेश के अनुसार किया गया। इन रिट याचिकाओं के प्रयोजनों के लिए निर्णय बहुत प्रासंगिक नहीं है।

(22). 2001 में, छत्तीसगढ़ राज्य ने पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 70(2) और 95(1) के अधीन नियम बनाए, जिन्हें छत्तीसगढ़ पंचायत शाला शिक्षा संविदा शिक्षक (नियुक्ति तथा सेवा साझेदारी) नियम, 2001 के रूप में जाना जाता है। इन नियमों का नियम 2(सी) 'समिति' को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है :-

"समिति से अभिप्रेत है अनुसूची-दो में दिए गए अनुसार संविदा शाला शिक्षक की नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति"

अनुसूची II संलग्न है जो दर्शाती है कि शिक्षाकर्मी ग्रेड I, II तथा III के लिए-चयन समिति के सदस्य इस प्रकार थे :-

श्रेणी चयन समिति के सदस्य

1 (1) सभापति, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति।



अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत।

सदस्य

(3) यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास।

सदस्य सचिव

(4) अध्यक्ष, जिला योजना समिति द्वारा नियुक्त दो विषय विशेषज्ञ जिमने से एक महिला सदस्य होगी।

सदस्य

(5) सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

सदस्य

(6) अध्यक्ष, जिला योजना समिति द्वारा नामांकित एक सदस्य।

2 (1) सभापति, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति।

अध्यक्ष

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत।

सदस्य

(3) यथास्थिति, जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास।

सदस्य सचिव

(4) सामान्य प्रशासन समिति द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ, जिनमें से एक महिला सदस्य होगी।

सदस्य





(5) सामान्य प्रशासन समिति के समस्त सदस्य जिनमें से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। यदि सामान्य प्रशासन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या यदि अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे सदस्य सामान्य सभा से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

3 (1) सरपंच, ग्राम पंचायत।

अध्यक्ष

(2) उपसरपंच.

सदस्य

(3) एक महिला पंच।

सदस्य

(4) एक पंच जो कि अ०जा० / अ०ज०जा० का हो।

सदस्य

(5) स्कूल के प्रधान अध्यापक।

सदस्य सचिव

23. विद्वान अधिवक्ता ने नियम 5 उप-नियम (8) का संदर्भ दिया, जिसमें समिति को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों का मूल्यांकन करना था और अंक देना था। नियम 5 के उपनियम (8) की कंडिका (i)(c) में इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है:-

"(8) (एक) समिति अभ्यर्थियों का आंकलन एवं अंक निर्धारण निम्नानुसार रीति से करेगी -

1. विहित अर्हता परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के लिए - 75 प्रतिशत।
2. बी.एड./ बी.टी.आई./ डी.एड . प्रमाण-पत्र के लिए- 10 प्रतिशत।



3. स्काउट और गाइड/एन.सी.सी. प्रमाण-पत्र - 05 प्रतिशत।

4. स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए -10 प्रतिशत।

अगर स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो 10 प्रतिशत अंक दिया जायेगा एवं नहीं होने की स्थिति में शून्य प्रतिशत अंक दिया जायेगा।

चयन समिति अनुपात मापदण्ड के आधार पर आकलन। अंक समान होने की दशा में अंतिम चयन लाटरी के माध्यम से ड्रा निकाल कर किया जाएगा।"

24. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा, स्थानीय बोली के 10% अंकों को बढ़ाकर 25% कर दिया गया था और यह भी इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का एक अलग मामला है। तर्क यह है कि पंचायत राज अधिनियम की धारा 47 के प्रावधान सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति सहित स्थायी समिति प्रदान करते हैं और वे व्यक्ति थे जिन्हें 1997 के नियमों में शामिल किया गया था और उन्हें हटा दिया गया था। अधिनियम के अधीन गठित समितियों को शक्तियों से पृथक कर देना पंचायत की स्वायत्तता में हस्तक्षेप है। यह तर्क दिया गया है कि उन्हें इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए तथा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में वे अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि धारा 47 को 73 वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। स्वशासन का उद्देश्य और लक्ष्य यद्यपि पंचायत राज संस्थाएं लंबे समय से अस्तित्व में हैं, यह देखा गया है कि ये संस्थाएं नियमित चुनावों की अनुपस्थिति, चुनाव, लंबे समय तक अधिक्रमण, कमजोर वर्गों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व सहित कई कारणों से व्यवहार्य और उत्तरदायी लोगों के निकायों की स्थिति और गरिमा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं।



25. सर्वोच्च न्यायालय ने यू.पी. राज्य बनाम प्रधान सिंह (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

* 2. संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 दिनांक 24/4/1993 को लागू हुआ ताकि राज्य के नीति निर्देशों में से एक राज्य नीति के सिद्धांत, अर्थात् भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 जो राज्य को ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का निर्देश देता है, को प्रभावी बनाया जा सके।

7. अनुच्छेद 40 के प्रावधान, जिसके प्रभावी होने के लिए 73 वाँ संविधान संशोधन लागू किया गया था, इस प्रकार हैं:-

40. ग्राम पंचायतों का संगठन-राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएँगे और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों।"

उपर्युक्त प्रावधान न तो 'गाँव' को परिभाषित करते हैं और न ही वर्तमान संचालित ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए दिशा-निर्देश देते हैं। वे केवल इतना चाहते हैं कि ग्राम पंचायतें, चाहे वे कितनी भी संगठित हों, उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए जाएँ जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। यद्यपि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में कहता है, तो इसका उद्देश्य स्वशासी, लोकतांत्रिक, नीति-निर्माण और प्रशासनिक इकाइयों के पदानुक्रम में स्वशासन की निम्नतम इकाई का संगठन है। दूसरे शब्दों में, इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को देश की आधारभूत लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसा होने के कारण, ग्राम पंचायतों का आयोजन करते समय, यह





ध्यान में रखना आवश्यक है कि (क) वे लोकतांत्रिक राजनीति के सबसे निचले सिरे पर स्वशासी इकाइयाँ होंगी, (ख) स्वशासी इकाइयाँ होने के नाते, जो लोग उक्त इकाइयों द्वारा शासित हैं और जिनके लाभ के लिए वे काम करने जा रहे हैं, उनका उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधित्व होगा; (ग) कि वे अपनी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों और उनके क्रियान्वयन सहित अपने मामलों के संचालन में प्रभावी भूमिका निभाएँगे और (घ) कि इस प्रकार उन्हें न केवल भागीदारी की भावना और संतुष्टि होगी, बल्कि अपने मामलों के शासन में एक अनुभव भी होगा। जब तक ग्राम पंचायतें उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित हैं, तब तक उक्त अनुच्छेद की आवश्यकताओं का उनकी भावना और अक्षरशः दोनों में अनुपालन किया जाएगा।

10. अनुच्छेद 243(ख) में 'ग्राम सभा' को एक निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, यह ग्राम पंचायत का निर्वाचक मंडल है चाहे पंचायत एक गांव के लिए हो या गांवों के समूह के लिए। अनुच्छेद 243(डी) में 'पंचायत' को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243-बी के अधीन गठित स्वशासन की संस्था (चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए) के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रावधान आगे यह स्पष्ट करता है कि 'पंचायत' शब्द का भी कोई विशेष महत्व नहीं है। सार यह है कि तथाकथित संस्था ग्रामीण क्षेत्र में स्वशासन की होनी चाहिए क्योंकि संविधान के उक्त भाग द्वारा परिकल्पित पंचायत राज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए संविधान के दूसरे भाग में प्रावधान किया गया है। इसलिए, 'पंचायत' शब्द पर





ज्यादा भावनाएँ नष्ट नहीं की जा सकतीं। दूसरी ओर, ध्यान इस प्रश्न पर केंद्रित होना चाहिए कि इस प्रकार गठित संस्था स्वशासी है या नहीं।

14. अनुच्छेद 243-डी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं और सभी स्तरों पर अन्य महिलाओं के लिए भी स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243-ई में पंचायत का कार्यकाल पाँच वर्ष का है। अनुच्छेद 243-एफ में पंचायत की सदस्यता के लिए अयोग्यता का प्रावधान है। अनुच्छेद 243-जी में राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाने वाली पंचायत की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसे कानून में पंचायतों को उचित स्तर पर शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए, ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें निर्दिष्ट की जा सकती हैं, निम्न विषयों के लिए प्रावधान हो सकते हैं- (क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी; और (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन जो उन्हें सौंपी जा सकती हैं जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। ग्यारहवीं अनुसूची में 29 मामलों का उल्लेख है जिनमें से कुछ को यहाँ गिनाना आवश्यक है ताकि यह इंगित किया जा सके कि यह केवल एक वित्तीय और प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य इकाई है जो उनसे संबंधित विकास की योजनाओं को शुरू कर सकती है। वे हैं: (1) लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वाटरशेड विकास, (2) सामाजिक





वानिकी और कृषि वानिकी, (3) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग, (4) खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग, (5) ग्रामीण आवास, (6) सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन, (7) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण शामिल है, (8) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, (9) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, (10) शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, (11) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, (12) बाजार और मेले, (13) स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं, (14) महिला और बाल विकास, (15) सामाजिक कल्याण, जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों का कल्याण शामिल है, और (16) कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।

26. जहाँ तक छानबीन समिति के सदस्य के रूप में प्रभारी मंत्री के नामित व्यक्ति की उपस्थिति का प्रश्न है, वैधता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना या अन्यथा, छत्तीसगढ़ राज्य ने एक कथन किया है कि संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-I की नियुक्ति के मामले में निदेशक पंचायत द्वारा और संविदा शाला शिक्षक ग्रेड-II और III के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भाषा/बोली विशेषज्ञ का ऐसा नामांकन किया जाएगा। यह कथन लेखबद्ध किया गया है। हमारे मत में भी, चयन में मंत्री या उनके नामित व्यक्ति की भागीदारी उचित नहीं है और इस तरह इसे निरंतर नहीं रखा जा सकता है।

27. यह ध्यान देने योग्य है कि नियम 2004 के नियम 7 उपनियम (5) के अंतर्गत, छानबीन के बाद योग्य पाए गए उम्मीदवारों को स्थानीय भाषा के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए छानबीन समिति के समक्ष बुलाया जाएगा। इस पहलू



पर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता से स्पष्ट रूप से पूछा गया कि अनुसूची III के बाद नोट में 'स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए' जोड़ा गया है। इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि यह एक 'स्थानीय बोली' है, जिसका अर्थ है बोली, जो उस क्षेत्र में बोली जाती है। यद्यपि अंग्रेजी संस्करण में 'भाषा' दिखाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन राज्य की आधिकारिक भाषा है।

28. संविधान का अनुच्छेद 345 प्रासंगिक है और नीचे उद्धृत किया गया है :-

*345. राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएँ-अनुच्छेद 316 और 317 के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किसी भी आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अपना सकता है: बशर्ते कि, जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग राज्य के भीतर उन आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए इसका उपयोग इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले किया जा रहा था।

29. जहाँ तक स्थानीय बोली का प्रश्न है, न्यायालय ने इस बारे में पता लगाना चाहा और राज्य तथा संबंधित पक्षों को अवसर प्रदान किया। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री प्रशांत मिश्रा ने कहा कि उन्होंने प्राधिकारियों से संपर्क किया है और वे उन्हें "छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ (नवीन आंकड़ों एवं तथ्यों सहित)" नामक पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु योग्य हुए हैं, जो इस मुद्दे के





अधिक निकट है। हमने तदनुसार इस पुस्तक का संदर्भ दिया है। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 41 बोलियाँ हैं, जो निम्नलिखित हैं।

(केन्द्रीय क्षेत्रीय) छत्तीसगढ़ी, (2)
 खलटाही/खलताही/खलवाटी (3) लरिया या लदिया (4)
 कलंगा (5) कलंजिया (6) कवर्धाई (7) कांकेर (8) खैरागढ़ी
 (9) गोरो (10) गौरिया (11) जशपुरी (12)
 डंगचगाहा/डंगचगही/नटी (13) देवार बोली या देवरिया
 (14) धमदी या धमधी (15) नांदीगाह (16) नागवंशी (17)
 पंडो (18) पनकी (19) पारधी (20) बहेलिया (21)
 बिंजवारी या बिंझवाली (22) बिलासपुरी (23) बैगानी (24)
 भूलिया (25) मरारी (26) रतनपुरी (27) रायपुरी (28)
 शिकारी (29) सतनामी (30) सदरी-कोरबा (31)
 सरगुजिया/सुरगुजिया/सुरगुजिहा (32) हलबी (33) अदकुरी
 (34) चदारी/चंदारी (35) जोगी (36) धाकड़ (37) नाहरी
 (38) महरी/मेहरी/मुहारी (39) मिरगानी (40)
 बस्तरी/बस्तरिया (41) कमारी।"

30. सार्वजनिक सेवा में जब सीधी भर्ती की जा रही हो, तो मानदंड शुद्ध योग्यता होना चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को महत्व देना मनमाना है। यदि कोई मेधावी व्यक्ति प्रतियोगिता में शामिल होता है, और वह स्थानीय बोलियों में कमजोर है, तो उसकी योग्यता पराजित होगी। यह स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के अनु. 14 और 16 में निहित अधिकार का उल्लंघन करता है। मान. सर्वोच्च न्यायालय ने वी.एन. सुनंदा रेड्डी (सुप्रा) के मामले में इन सभी प्रश्नों पर बहुत विस्तार से विचार किया और निम्नानुसार माना है:-



'सार्वजनिक सेवा में जब सीधी भर्ती की जा रही हो, तो मानदंड शुद्ध योग्यता होना चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को महत्व देना मनमाना है। अतः, यदि मेधावी व्यक्ति प्रतियोगिता के लिए बैठते हैं, तो उनकी योग्यता को पराजित किया जाएगा यदि वे स्थानीय बोलियों में कमजोर हैं। यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अंतर्गत निहित अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए यह संविधान का उल्लंघन भी है।"

31. मान. सर्वोच्च न्यायालय को राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों के जिला परिषदों द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के पद के लिए किए गए चयन और परिणामी नियुक्तियों पर विचार करने का अवसर मिला था। मान. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में विस्तृत रूप से विचार किया है। विद्वान अधिवक्ता ने **कैलाश चंद्र शर्मा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में दिए गए निर्णय को संबोधित और संदर्भित किया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रकरण मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हमें यह समझाने का भरसक प्रयास किया कि उक्त मामला अलग है।

32. **कैलाश चंद्र शर्मा** (पूर्वोक्त) का निर्णय सीधे इसी बिंदु पर है। उक्त निर्णय का पैरा 31 प्रासंगिक है तथा नीचे उद्धृत है :-

*31. ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले अधिमान्य उपचार के औचित्य में दिए गए दो आधारों को बलजीत कौर तथा अरविंद कुमार गोचर मामले (6-4-1994 को निर्णीत) में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्वीकार किया। श्री राजीव धवन, उन उम्मीदवारों की ओर से



उपस्थित हुए, जिन्होंने एसएलपी (सी) संख्या 10780/2001 दायर की है, ने मुख्य रूप से दूसरे आधार अर्थात् स्थानीय बोली से बेहतर परिचित होने के आधार पर विवादित परिपत्र का समर्थन करने का भरसक प्रयास किया। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जब संबंधित पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत क्षेत्र में सेवा करने के लिए शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, तो उस विशेष जिले और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले शिक्षक उस जिले और उसमें शामिल पंचायत क्षेत्रों के छात्रों को पढ़ाने के लिए बेहतर ढंग से अनुकूल हैं। उनका कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार स्थानीय वातावरण में खुद को बेहतर ढंग से आत्मसात कर सकते हैं और प्राथमिक स्तर के छात्रों के साथ बातचीत करने की बेहतर स्थिति में होंगे। इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि यद्यपि भाषा/मातृभाषा एक ही है, लेकिन बोली जिले से जिले और यहाँ तक कि जिले के अंदर भी भिन्न होती है। पंचायत द्वारा संचालित स्कूलों में सेवा करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों के चयन की सुविधा देकर, राज्य ने निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में अधिक प्रभावी होंगे और नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त होंगे। इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि वर्गीकरण उन विचारों पर आधारित है जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित हैं और केवल निवास से संबंधित नहीं हैं। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है, यद्यपि यह सुखद है। हमें लगता है कि बिना किसी तथ्यात्मक आधार के बोली सिद्धांत पर अनुचित जोर दिया जा रहा है। यह दावा कि बोली और बोली जाने वाली भाषा की बारीकियाँ हर जिले





में अलग-अलग होती हैं, राज्य द्वारा किए गए अनुभवजन्य अध्ययन या सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। यहाँ तक कि इस संबंध में कोई विशेष विवरण भी नहीं दिया गया है। प्रतिकथन (उद्धृत पूर्वोक्त) में यह तर्क दिया गया है कि 'प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है। यदि यह सही है, तो जिला परिषद को अधिसूचना में यह उल्लेख करना चाहिए था कि विचार के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों को एक विशेष भाषा जाननी चाहिए। हम यह सोचने के लिए प्रवृत्त हैं कि प्रतिकथन में असावधानी से 'बोली' के बजाय 'भाषा' का संदर्भ दिया गया है। जैसा कि पिछले वाक्य से देखा जा सकता है, बोली और भाषा शब्दों का उपयोग शायद दोनों के बीच के अंतर को समझे बिना, परस्पर विनिमय करने योग्य अभिव्यक्तियों के रूप में किया जाता है। इसलिए हम यह मानते हैं कि प्रतिकथन में जो व्यक्त किया जाना है, वह यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की एक अलग बोली या स्थानीय भाषा होती है और इसलिए जिले के स्थानीय उम्मीदवार छात्रों को पढ़ाने और उनके साथ बातचीत करने की बेहतर स्थिति में होंगे। ऐसे मामले में, राज्य सरकार को उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए थी, जिनमें स्थानीय भाषा में असमानताएँ मौजूद हैं और बोली और स्थानीय भाषा अलग-अलग हैं। यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन और प्रासंगिक आंकड़ों के संग्रह के आधार पर किया जा सकता है। यह किसी का मामला नहीं है कि ऐसा अभ्यास किया गया था। किसी भी मामले में, यदि ये अंतर परिक्षेत्रवार या क्षेत्रवार मौजूद हैं, तो यह किसी जिले में निवास के आधार पर उम्मीदवारों को अधिमान्यता देने का उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। उस क्षेत्र से संबंधित उम्मीदवार, चाहे वे क्षेत्र के एक्स, वाई या जेड जिले से संबंधित हों, उस क्षेत्र की कथित रूप से भिन्न बोली से





भलीभाँति परिचित हो सकते हैं। ग्रामीण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिए जाने के दृष्टिकोण से परखा जाए तो यह तर्क और भी समाप्त हो जाता है। क्या यह तर्कसंगत रूप से कहा जा सकता है कि जो उम्मीदवार शहरों में बस गए हैं, वे उस जिले की बोली से परिचित नहीं होंगे? क्या हम यह मानकर आगे बढ़ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार उसी जिले के शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों की तुलना में जिले की बोली से अधिक परिचित हैं? हमारे विचार में दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक ही हो सकता है। केवल इस धारणा पर कि पूर्व (ग्रामीण उम्मीदवार) ग्रामीण छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ा पाएंगे, उसी जिले के बड़े या छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की तुलना में गाँवों में रहने वाले शिक्षित लोगों को प्राथमिकता देना केवल एक कृत्रिम भेद पैदा करना होगा, जिसका उद्देश्य प्राप्त करने से कोई वैध संबंध नहीं है। तब यह मुख्य रूप से निवास के आधार पर भेदभाव होगा, जो अनुच्छेद 16(2) द्वारा निर्धारित किया गया है।

33. उपरोक्त निर्णयों और पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए ऊपर की गई चर्चाओं के अनुसार, हमारी राय में, जैसा कि पहले उद्धृत किया गया है, पंचायत राज अधिनियम की धारा 47 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत में वयस्क शिक्षा सहित शिक्षा, विकलांगों और निराश्रितों का सामाजिक कल्याण, महिला और बाल कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, अभाव, टिड्डियों के आक्रमण और ऐसी अन्य आपात स्थितियों से होने वाले संकट से राहत, संयम या निषेध, स्वास्थ्य और सफाई, आदिवासी और हरिजन कल्याण के लिए एक शिक्षा समिति होगी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 के अंतर्गत यह स्पष्ट करता है कि पंचायत स्वशासन की इकाई होगी और संविधान की 11 वीं अनुसूची के अनुसार



पंचायतों को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र दिया गया है। इसलिए, पंचायतों पर यह कर्तव्य है कि वे देखें कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निवासियों को उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। यद्यपि संविदा शिक्षकों के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए गए हैं, किन्तु उक्त प्रावधानों के अनुरूप संबंधित शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। यह आवश्यक है कि राज्य सरकार स्वयं अधिसूचना द्वारा पंचायतों को संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में शक्तियां एवं दायित्व प्रदान करे तथा यह भी आवश्यक है कि नियम इस प्रकार बनाए जाएँ जिससे पंचायत की स्वायत्तता का अतिक्रमण न हो तथा पंचायत को स्वशासन के रूप में कार्य करने का अवसर मिल सके।

34. चुनौती के अधीन नियमों के अनुसार स्थानीय बोलियों पर 0 अथवा 15 अंक दिए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पूरे अंक प्राप्त करता है और उसे मानदंडों के अनुसार स्थानीय बोलियों में कमजोर घोषित किया जाता है, यद्यपि वह गुणवान है, लेकिन उसे पद के लिए नहीं चुना जा सकता है और इसके विपरीत भी यही बात है; इसलिए, विधि की दृष्टि से ऐ, वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधीन स्थापित सिद्धांतों और कैलाश चंद्र शर्मा (पूर्वोक्त) तथा वी.एन. सुनंदा रेड्डी (पूर्वोक्त) के मामले में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के विरुद्ध ऐसी मनमानी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

35. अंतिम प्रश्न न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले दिशा-निर्देशों के बारे में शेष है। इस संबंध में कैलाश चंद्र शर्मा (पूर्वोक्त) के प्रकरण में मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा 31 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहाँ तक दिशा-निर्देशों का संबंध है, राज्य द्वारा सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। प्राधिकारियों को अधिसूचना में यह उल्लेख करने की स्वतंत्रता है कि विचारण हेतु पात्रता के लिए उम्मीदवारों को एक विशेष भाषा जानना चाहिए।



प्राधिकारियों को उस क्षेत्र की पहचान करनी चाहिए जिसमें स्थानीय भाषा में असमानताएँ हैं और बोली तथा स्थानीय भाषा में भिन्नता है। यह केवल वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रासंगिक आंकड़ों के संग्रह के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसा किसी का प्रकरण नहीं है जिसमें इस तरह की कार्यवाही की गई हो। इस मामले को देखते हुए, हमारे अभिमत में, न्यायालयों की अपनी सीमाएँ हैं। हम विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का काम राज्य पर छोड़ते हैं।

36. चूंकि हमने पाया है कि चयन प्रक्रिया में मंत्री या उनके नामांकित व्यक्ति को शामिल करना नियमों के अधीन संपोषणीय नहीं है और स्थानीय बोली के ज्ञान के लिए 0 या 15 अंक देना मनमाना है, इस सीमा तक इन याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित नस्तियों में रखी जाए।

जाने से पहले, हम पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता गण द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता की सराहना करते हैं।

हस्ता/-
फखरुद्दीन
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति,

हस्ता/-
वी. के. श्रीवास्तव
न्यायमूर्ति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।